आदेश	कार्यवाही विवरण राजस्थान सरकार बनाम तेजाराम आदि प्रकरण संख्या 02/2015	अनुपालना के कमांक व दिनांक
20.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील/राज पैरोकार उपस्थित। प्रकरण को दर्ज हुये करीबन 7 वर्ष समय हो चुका है। वर्तमान में प्रकरण तलबी के प्रक्रम पर विचाराधीन है। प्रकरण को काफी समय से "PRESS" भी नही किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग के परिपत्र F10(147)UDH/3/2008 Part iii दिनांक 06.02.2017 के अनुसार मोबाईल टॉवर के स्थाई स्ट्रक्चर नही माना है, वह अस्थाई निर्माण है तथा उसमें लगी कोई भूमि को रूपान्तरण करवाने की आवश्कता नही है। अतः नगरीय विकास विभाग के उक्त परिपत्र की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested